

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

-: अधिसूचना :-

राँची,

दिनांक :- 6-5-14

अधिसूचना सं.-01/स्था.(एम.ए.सी.पी.)-18-09/2014-5483/राज्य कर्मियों को संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ प्रदान करने संबंधी वित्त विभाग, झारखण्ड द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-06/एस.-06 (प्रो.)-03/2009-2981/वि., राँची दिनांक 01.09.09 में निहित प्रावधानों के आलोक में विभागीय स्कीनिंग समिति की अनुशंसा पर झारखण्ड अभियंत्रण सेवा (जल संसाधन) के अभियंताओं को जिन्हें पूर्व में 12/24 वर्षों अथवा दोनों की नियमित सेवा पूरी कर लिये जाने के फलस्वरूप प्रथम/द्वितीय अथवा दोनों सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ प्रदान किया गया था, उन्हें लगातार 30 वर्षों की नियमित सेवा पूरी कर लिये जाने के फलस्वरूप उनके नाम के सामने स्तम्भ-05 में अंकित तिथि से उन्हें तृतीय संशोधित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन योजना का लाभ उच्च संवर्गीय पद के उपलब्ध होने की तिथि तक दिया जाता है।

क्र.	पदाधिकारी का नाम	आई.डी.	पद सोपान में योगदान की तिथि	तृतीय संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के तहत लाभ प्रदान करने की तिथि/ वेतनमान 37400-67000 ग्रेड पे 8900	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री मोहन प्रसाद साह	1159	01.08.75	01.09.08	
2.	श्री रामबाबू सिंह	1288	06.01.76	01.09.08	
3.	श्री गिरिजा नन्दन सिंह	1319	09.01.76	01.09.08	
4.	श्री रविन्द्रनाथ प्रसाद सिन्हा	1419	10.11.76	01.09.08	
5.	श्री रामेश्वर सिंह	1399	11.11.76	01.09.08	
6.	श्री सत्यनारायण सिंह	1436	31.12.76	01.09.08	
7.	श्री विजय कुमार सिंह	1656	31.01.79	31.01.09	
8.	श्री राजाराम सिंह	1687	06.02.79	06.02.09	
9.	श्री ललित प्रसाद सिंह	1751	08.02.79	08.02.09	
10.	श्री नवीन कुमार वर्मा	1790	19.03.79	9.08.09	
11.	श्री जगनारायण सिंह	1811	31.01.79	31.01.09	
12.	श्री ब्रह्मदेव सिंह	1827	14.02.79	14.02.09	
13.	श्री विरेन्द्र कुमार पाठक	1846	03.02.79	03.02.09	
14.	श्री बिहारी जी मिश्रा	1852	06.02.79	06.02.10	
15.	श्री रामजीत राय	1859	31.01.79	31.01.09	
16.	श्री राजीव रंजन	1863	09.02.79	09.02.09	
17.	श्री विभूति नारायण	1927	31.01.79	31.01.09	
18.	श्री श्रीरमण	1949	05.02.79	05.02.09	
19.	श्री भरत सिंह	1959	03.02.79	03.02.09	
20.	श्री अवध किशोर	1970	02.02.79	02.02.09	
21.	श्री विश्वम्भर चौबे	2000	31.01.79	31.01.09	
22.	श्री लाल बहादुर सिंह	2004	05.02.79	05.02.09	
23.	श्री राजेश्वरी प्रसाद सिंह	2019	30.01.79	30.01.09	

1	2	3	4	5	6
24.	श्री बजरंगबली सिंह	2024	30.01.79	30.01.09	
25.	श्री अशोक कुमार सिंह	2030	25.01.79	25.01.09	
26.	श्री विजय कुमार सिंह	2075	13.02.79	13.02.09	
27.	श्री मुरलीधर मंडल	2079	06.02.79	06.02.09	
28.	श्री सुधीर कुमार शर्मा	2145	05.02.79	05.02.09	
29.	श्री अम्बुज कुमार पाण्डेय	2213	31.01.79	31.01.09	
30.	श्री विन्ध्येश्वर प्रसाद सिंह	2269	30.03.79	30.03.09	
31.	श्री विजय कुमार वर्मा	2288	05.02.79	05.02.09	
32.	श्री विजय कुमार शर्मा	2313	30.01.79	30.01.09	
33.	श्री गिरिधारी पंडित	2320	29.01.79	29.01.09	
34.	श्री सुधीर प्रसाद सिंह	2331	02.02.79	02.02.09	
35.	श्री देव आशीष	2354	29.01.79	01.04.11	
36.	श्री सुरेश राय	2369	31.01.79	31.01.09	
37.	श्री विजय कुमार वर्मा	2375	06.02.79	06.02.09	
38.	श्री अक्षय कुमार	2380	03.02.79	03.02.09	
39.	श्री विनय कुमार सिन्हा	2389	30.01.79	30.01.09	
40.	श्री विनय कुमार वर्मा	2421	09.02.79	09.02.09	
41.	श्री जय मंगल प्रसाद सिंह	2442	08.02.79	08.02.09	
42.	श्री भोला प्रसाद चौरसिया	2458	02.03.79	02.03.09	
43.	श्री अवध किशोर प्रसाद	2463	29.01.79	29.01.09	
44.	श्री अशोक कुमार सिंह	2472	30.01.79	30.01.09	
45.	श्री रामाकान्त राय	2509	29.01.79	29.01.09	
46.	श्री सुधीर चन्द्र शर्मा	2585	31.01.79	31.01.09	
47.	श्री राजेश्वर शर्मा	2604	30.01.79	30.01.09	
48.	श्री उदय प्रसाद सिंह	एम 179	07.02.79	07.02.09	
49.	श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह	एम 193	31.01.79	31.01.09	
50.	श्री जालीम महतो	एम 216	05.02.79	05.02.09	
51.	श्री सच्चिदानन्द चौधरी	एम 220	31.01.79	31.01.09	
52.	श्री अजीत कुमार सिन्हा	एम 227	08.02.79	08.02.09	
53.	श्री दयानन्द सिंह	एम 147	30.06.76	01.09.08	
54.	श्री अनिरुद्ध प्रसाद	एम 121ए	18.12.75	01.09.08	
55.	श्री राजेश कुमार कपूर	2118	27.01.79	27.01.09	
56.	श्री मुख्तार अहमद खाँ	2163	02.02.79	02.02.09	
57.	श्री वृजनन्दन प्रसाद सिन्हा	2175	07.02.79	07.02.09	
58.	श्री कुन्दन प्रकाश	2316	05.02.79	05.02.09	
59.	श्री हीरालाल सिन्हा	2445	05.02.79	05.02.09	
60.	स्व० रामकृष्ण राम	2447	29.01.79	29.01.09	
61.	श्री सुरेन्द्र सिंह	2454	31.01.79	31.01.09	

1	2	3	4	5	6
62.	श्री जनार्दन प्रसाद	2469	09.02.79	09.02.09	
63.	श्री राजकृष्ण	2476	30.01.79	30.01.09	
64.	श्री सुनील कुमार चौधरी	2498	02.02.79	02.02.09	
65.	श्री दीनानाथ प्रसाद	2512	30.01.79	30.01.09	
66.	श्री अनूप कुमार सिंह	2534	05.03.79	05.03.09	
67.	श्री अविनाश कुमार सिन्हा	2542	26.01.79	26.01.09	
68.	श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह	2580	30.01.79	30.01.09	

- (i) यह योजना दिनांक 01.09.08 से प्रभावी है।
- (ii) यह वित्तीय उन्नयन योजना व्यक्तिगत होगा जिसका पारस्परिक वरीयता से कोई संबंध नहीं होगा।
- (iii) इस योजनान्तर्गत वित्तीय उन्नयन हेतु संबंधित कर्मियों के वेतन का निर्धारण वित्त विभाग के संकल्प संख्या-2981 दिनांक 01.09.2009 एवं संकल्प संख्या-660/वि. दिनांक 28.02.2009 में निहित प्रावधान के आलोक में किया जायेगा। भविष्य में यदि पाया जाता है कि दिया गया वित्तीय उन्नयन गलत है या इसके चलते अधिक भुगतान हुआ है तो अधिक भुगतान की गई राशि एक मुश्त वसूल कर ली जायेगी और इसके विरुद्ध किसी प्रकार का दावा सरकार या न्यायालय में विचारणीय नहीं होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(अविनाश कुमार)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :-

5483

राँची, दिनांक:-

6-5-14

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को अधिसूचना की तीन मूल प्रतियों (सी.डी. सहित) के साथ गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। गजट में प्रकाशनोपरांत प्रकाशित गजट की 200(दो सौ) प्रतियाँ विभाग को अभिलेख हेतु भेजने की कृपा की जाय।

(अविनाश कुमार)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :-

5483

राँची, दिनांक :-

6-5-14

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, झारखंड, राँची, पो0-हिन्, राँची/ उप सचिव, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि अपने अभिलेख से योगदान की तिथि एवं सेवा में, टूट संबंधी आवश्यक जाँच कर वेतन पुर्जा निर्गत किया जाय।

(अविनाश कुमार)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :-

5483

राँची, दिनांक :-

6-5-14

प्रतिलिपि:-सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड राँची/सचिव, नगर विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, मानव संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग/सचिव, मंत्रीमंडल(निगरानी) विभाग, झारखण्ड राँची/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड, राँची/अभियंता प्रमुख-01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/ सभी संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव (प्रबंधन कोषांग सहित)/सभी संबंधित मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/ सभी संबंधित अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/सभी संबंधित अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखंड/वेब इन्फार्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1 एवं 2, जल संसाधन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अविनाश कुमार)
सरकार के सचिव।